Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चूरू में पुलिस थाना साहवा के हैड कानिस्टेबल एवं कानिस्टेबल 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *22 अप्रेल, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चूरू इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्रवण कुमार हैड कानिस्टेबल एवं सतपाल जाट कानिस्टेबल पुलिस थाना साहवा, जिला चूरू को परिवादी से **30 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की चूरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भाई के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने एवं पुलिस हिरासत से छोडने की एवज में अनुसंधान अधिकारी श्रवण कुमार हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना साहवा, जिला चूरू द्वारा **30 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, चूरू इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री महेन्द्र कुमार चावला** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रवण कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह जाट निवासी गुजासरी, पुलिस थाना भादरा, जिला हनुमानगढ़ हाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना साहवा, जिला चूरू एवं सतपाल जाट पुत्र श्री रामकरण निवासी डाबड़ी, पुलिस थाना भिरानी, जिला हनुमानगढ़ हाल कानिस्टेबल पुलिस थाना साहवा, जिला चूरू को परिवादी से **30 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।